>

Title: Need to provide water to Rajasthan as per various water agreements.

श्री रतन सिंह (भरतपुर): नियम 377 के माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से पूरे भारत की अपेक्षा पानी की अत्यंत कमी है। भारत के कई हिस्सों में पाना की अधिकता है और इन क्षेत्रों में पानी की अधिकता से कई प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। राजस्थान में पानी की कमी से लोगों को पेयजल आसानी से नहीं मिल पाता है। पशुओं के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और किसान पानी के अभाव में अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर पाते हैं। इन सबके कारण राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वह अन्य क्षेत्रों से विकास की दृष्टि से बहुत पीछे है। केन्द्र सरकार ने अपने प्रयासों से राजस्थान को पानी दिलाने के लिए कई राज्य सरकारों से कई समझौते किए हुए हैं, परंतु इन समझौतों के तहत राजस्थान को पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। राजस्थान के 237 ब्लाकों में से 207 ब्लाक डार्क जोन घोषित हो चुके हैं और डार्क जोन से किसानों को और दिक्कतें हो रही हैं। राजस्थान के रणथम्बौर नेशनल पार्क में अभी हाल ही में 13 बंदर बिना पानी प्यास के कारण मौत के मुंह में चले गए। बाड़मेर एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में दुर्लभ हिरण एवं चिंकारों की पानी नहीं मिलने से मौतें हो रही हैं। यही हाल गांव के पालतू जानवरों की है। इससे पशुपालन एवं कृषि कार्य में बहुत दिक्कत हो रही है।

सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान राज्य को मिलने वाले पानी के संबंध में जो समझौते हुए उनकी समीक्षा की जाए एवं राजस्थान को पानी उपलब्ध कराने के लिए विशेष कदम उठाए जाएं।